संख्या-21/2020/239/71-2-2020-30/2012

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रायबरेली,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 27 फरवरी, 2020

विषय- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के विस्तार हेतु भूमि क्रय किये जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-897/डी0एल0आर0सी0-धन0/2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के विस्तार हेतु ग्राम-दरियापुर के 109 एवं ग्राम-सुल्तानपुर के आइमा के 119 अर्थात कुल 228 कृषकों के 19.0136 हेक्टेयर कृषि भूमि (परिसम्पत्तियों सहित) के क्रय हेतु धनराशि रू0 4040.32757 (रूपये चालीस करोड चालीस लाख बत्तीस हजार सात सौ सत्तावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं इसके सापेक्ष धनराशि रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृति की जा रही। इसका अन्य कार्यो/मदों पर व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है और इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैक खाते में नहीं रखा जायेगा।
4) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6) नियमानुसार निर्विवाद रूप से भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
7) भूमि क्रय किये जाने के संबंध में समस्त सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105-एलोपैथी-79-रायबरेली में एम्स की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/236/दस-2020, दिनांक 24 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-21/2020/239 (1)/71-2-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण।
4. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
5. वरिष्ठ/मुख्य, कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रायबरेली।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।